संख्या- 33 /2016/746/35-3-2016-1(41)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊदिनांक: 28 मार्च,2016**

विषय: शासनादेश संख्या-5/2016/403/35-3-2016-1(41)/2015दिनांक: 16 फरवरी, 2016 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2016/403/35-3-2016-1(41)/2015 दिनांक: 16 फरवरी, 2016 मे आंशिक संशोधन करते हु ए मुझे यह की कहने का निदेश हु आ है कि संदर्भित शासनादेश मे ग्राम्रामपुर से कुण्डा के स्थान पर ग्राम-रायपुर से कुण्डा तथा कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पढ़ा जायेगा।

सन्दर्भित शासनादेश संख्या-5/2016/403/35-3-2016-1(41)/2015 दिनांक: 16 फरवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 33/2016/746(1)/35-3-2016-1(41)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/लोक निमार्ण अनुभाग-9 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in